न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 603–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–1–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर तहसीलदार बैहट जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 2/2014–15/अ–70

.....

1–आदिराम पुत्र श्रीलाल कुशवाह
2–धनीराम पुत्र श्रीलाल कुशवाह
निवासीगण ग्राम चकदगियापुरा लश्कर
ग्वालियर
3–लालसिंह पुत्र पंचमसिंह
4–करनसिंह पुत्र पंचमसिंह
निवासीगण गढरौली तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–रामरतन पुत्र स्व0श्री हीरालाल
2–मोतीराम पुत्र स्व0श्री हीरालाल
3–जयनारायण पुत्र स्व0श्री सूर्यपाल
निवासीगण ग्राम चकदगियापुरा,
तहसील व जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री अवधेश राजौरिया, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार बैहट जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा अपर तहसीलदार वृत बैहठ जिला ग्वालियर के समक्ष अनावेदकगण के स्वामित्व की ग्राम चकदगियापुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 881 रकबा 0.21 हेक्टेयर व सर्वे कमांक 905 रकबा 0.14 हेक्टेयर है । अनावेदकगण द्वारा सीमांकन कराये जाने पर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का कब्जा पाया गया, अतः कब्जा दिलाया जाये । अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–1–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदकगण द्वारा हटाया जाकर अनावेदकगण को सौंपने का आदेश दिया गया । अपर तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं हुआ है और न ही आवेदकगण की उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की गई है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत अपर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि अपर तहसीलदार द्वारा यह पाते हुये कि सर्वे कमांक 905 का सीमांकन नहीं हुआ है । इसके बावजूद भी आवेदकगण को अतिक्रामक मानते हुये आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अपर तहसीलदार के समक्ष प्रारंभिक आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई थी जिनका निराकरण किये बिना आदेश पारित करने में अपर तहसीलदार न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा विधिवत् अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया है और प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा पाया गया है, ऐसी स्थिति में अपर तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा होने से कब्जा हटाने

का आदेश पारित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् साक्ष्य ली जाकर साक्ष्य से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्ध पाया गया है, इसलिये भी उनके द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है । उनके द्वारा अपर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से यह स्पष्ट नहीं है कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है या अंतिम स्वरूप का । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी नहीं दिया गया है, अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये विधि के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार बैहट जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु अपर तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर